SBI

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई
फोन : 022–22820427; फैक्स : 022–22820411; ईमेल आईडी – crpdsbi.co.in

NAPS – National Apprenticeship Promotion Scheme – On the job skilling

Skill India – कौशल भारत - कुशल भारत

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण
विज्ञापन संख्या : सीआरपीडी/एपीआर/2021–22/10
(आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण : 06/07/2021 से 26/07/2021 तक)
ऑनलाइन परीक्षा : संभावित रूप से अगस्त 2021 माह में

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. अभ्यर्थी केवल एक राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत अभ्यर्थी केवल एक बार परीक्षा में बैठ सकते हैं।
2. शुल्कों के भुगतान की अंतिम तिथि को या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम से बैंक में शुल्क जमा किए जाने पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
3. अभ्यर्थियों से निम्नलिखित वेबसाइटों https://nsdcindia.org/apprenticeship या https://apprenticeshipindia.org या http://bfsissc.com या https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/ careers. पर दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है।
4. सभी संशोधन/शुद्धि–पत्र (यदि कोई होता है) केवल बैंक की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे।
5. प्रशिक्षुओं की राज्यवार सीटें, राज्यवार स्थानीय भाषाएँ, जिलेवार प्रशिक्षण सीटें, आयु, शिक्षा योग्यता, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण, वृत्ति, चयन प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र, शुल्क और अन्य संबंधित मापदंडों का नीचे उल्लेख किया गया है :

ए. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय भाषा और प्रशिक्षण सीटों की संभावित संख्या :

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भाषा*	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	कुलयोग**	पीडब्ल्यूडी			
								एलडी	वीआई	एचआई	डी एवं ई
गुजरात	गुजराती	56	120	216	80	328	800	8	8	8	8
आंध्र प्रदेश	तेलुगु/उर्दू	16	7	27	10	40	100	1	1	1	1
कर्नाटक	कन्नड़	32	14	54	20	80	200	2	2	2	2
मध्य प्रदेश	हिंदी	11	15	11	7	31	75	1	1	1	0
छत्तीसगढ	हिंदी	9	24	4	7	31	75	1	1	1	0
पश्चिम बंगाल	बंगाली/नेपाली	164	35	157	71	288	715	8	7	7	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हिंदी/अंग्रेज़ी	0	0	2	1	7	10	1	--	--	--
सिक्किम	नेपाली/अंग्रेज़ी	1	5	6	2	11	25	1	--	--	--
उड़ीसा	उड़िया	64	88	48	40	160	400	4	4	4	4
हिमाचल प्रदेश	हिंदी	50	8	40	20	82	200	2	2	2	2
हरियाणा	हिंदी/पंजाबी	28	0	40	15	67	150	2	2	1	1
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	उर्दू/हिंदी	8	11	27	10	44	100	1	1	1	1
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	हिंदी/पंजाबी	4	0	6	2	13	25	1	0	0	0
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	लद्दाखी/उर्दू/भोटी	0	1	2	1	6	10	1	0	0	0
पंजाब	पंजाबी/हिंदी	105	0	76	36	148	365	4	4	4	3
तमिलनाडु	तमिल	17	0	24	9	40	90	1	1	1	1
केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी	तमिल	1	0	2	1	6	10	1	0	0	0
गोवा	कोंकणी	1	6	9	5	29	50	1	1	0	0
उत्तराखंड	हिंदी	22	3	16	12	72	125	2	1	1	1
तेलंगाना	तेलुगु/उर्दू	20	8	33	12	52	125	2	1	1	1
राजस्थान	हिंदी	110	84	130	65	261	650	7	7	6	6
केरल	मलयालम	7	0	20	7	41	75	1	1	1	0
उत्तर प्रदेश	हिंदी/उर्दू	183	8	236	87	361	875	9	9	9	8
महाराष्ट्र	मराठी	37	33	101	37	167	375	4	4	4	3
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेज़ी	0	9	0	2	9	20	1	0	0	0
असम	असमिया/बंगाली/बोडो	17	30	67	25	111	250	3	3	2	2
मणिपुर	मणिपुरी	0	6	2	2	10	20	1	0	0	0
मेघालय	अंग्रेज़ी/गारो/खासी	0	22	2	5	21	50	1	1	0	0
मिजोरम	मिज़ो	0	9	1	2	8	20	1	0	0	0
नगालैंड	अंग्रेज़ी	0	9	0	2	9	20	1	0	0	0
त्रिपुरा	बंगाली/कोकबोरोक	3	6	0	2	9	20	1	0	0	0
बिहार	हिंदी/उर्दू	8	0	13	5	24	50	1	1	0	0
झारखंड	हिंदी/संथाली	3	6	3	2	11	25	1	0	0	0
कुलयोग		977	567	1375	604	2577	6100	77	63	57	51

* अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने चयनित राज्य की एक निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का विकल्प चुनना होगा।

** उपर्युक्त प्रशिक्षण सीटों की संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकती है।

संक्षिप्ताक्षर हैं : एससी – अनुसूचित जाति; एसटी – अनुसूचित जनजाति; ओबीसी – अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर – अनारक्षित श्रेणी; एलडी – चलन विकलांगता, वीआई – दृष्टिबाधित; एचआई – श्रवण बाधित; डी एवं ई – विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (1) के खंड डी और ई में यथा उल्लेखित पीडब्ल्यूडी भी शामिल हैं: ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम विकलांगता, मानसिक रोग और बहु–विकलांगता। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019–Estt (Res) दिनांकित 31/10/2019 द्वारा निर्धारित है।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस की प्रशिक्षण सीटें अस्थाई हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। यह नियुक्ति अनंतिम है और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र उचित चैनल के माध्यम से सत्यापित होने के अध्यधीन है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' की प्रस्तुति पर प्राप्त किया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि ऑनलाइन आवेदन की तिथि को या उससे पहले उनके पास मौजूदा डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार **प्रासंगिक वित्तीय वर्ष** के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को केवल सामान्य (सामा) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना चाहिए।

ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित प्रशिक्षण सीटें 'गैर–क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले ओबीसी अभ्यीर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध किसी भी छूट/आरक्षण के अधिकारी नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य या सामान्य (एलडी/वीआई/एचआई/डी एंड ई) के रूप में लागू अनुसार इंगित करना चाहिए। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें 01/04/2021 से लेकर चयनित होने पर नियुक्ति ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि के दौरान जारी किया गया गैर–क्रीमी लेयर खंड हो।

जिन सीटों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है (अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय आवेदन किए गए राज्य के किन्हीं तीन पसंदीदा जिलों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। **हालांकि, बैंक प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार चयनित राज्य के किसी भी जिले में प्रशिक्षण सीट आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है) :**

राज्य	कुल सीटें	जिलेवार प्रशिक्षण सीटें
गुजरात	800	अहमदाबाद–75, अमरेली–45, आनंद–25, अरावली–10, बनासकांठा–25, वडोदरा–60, सूरत–50, भरूच–25, भावनगर–50, बोटाद–6, छोटा उदयपुर–12, दाहोद–10, डांग–3, देवभूमि द्वारका–12, गांधीनगर–25, गिर सोमनाथ–27, जामनगर–27, जूनागढ़–40, खेड़ा–25, कच्छ–35, महिसागर–5, मेहसाणा–25, मोरबी–22, नर्मदा–5, नवसारी–15, पंचमहल–12, पाटन–12, पोरबंदर–14, राजकोट–40, साबरकांठा–12, सुरेंद्रनगर– 30, तापी–6, वलसाड–15
आंध्र प्रदेश	100	श्रीकाकुलम–8, विजयनगरम–8, विशाखापत्तनम–7, पूर्वी गोदावरी–8, पश्चिमी गोदावरी–8, कृष्णा–7, गुंटूर–7, प्रकाशम–8, नेल्लोर–8, चित्तूर–8, वाईएसआर कडप्पा–8, अनातापुर–8 , कुरनूल–7।
कर्नाटक	200	बगलकोट–8, बंगलोर ग्रामीण–10, बंगलोर शहरी–10, बेलगाम–10, बेल्लारी–10, बीदर–5, चामराजानगर–5, चिक्कमगलुरु–5, चिक्कबल्लापुर–5, चित्रदुर्ग–5, दक्षिण कन्नड़–10, दावणगेरे–5 , धारवाड़–10, गडग–5, कालबुरगी–10, हासन–5, हावेरी–5, कोडागु–5, कोलार–5, कोप्पल–5, मांड्या–5, मैसूर–5, रायचूर–5, रामनगरम–5, शिमोगा–5, तुमकुर–9, विजापुरा–10, उडुपी–5, उत्तर कन्नड़–8, यादगीर–5।
मध्य प्रदेश	75	इंदौर–2, खरगोन–2, खंडवा–2, धार–2, झाबुआ–1, बड़वानी–2, मंदसौर–2, नीमच–2, रतलाम–3, उज्जैन–3, अगर–मालवा–1, देवास–2, शाजापुर–2, राजगढ़–3, गुना–2, शिवपुरी–2, अशोकनगर–1, बैतूल–2, हरदा–1, छिंदवाड़ा–2, होशंगाबाद–2, भोपाल–1, सीहोर–2, विदिशा–2, रायसेन–2, ग्वालियर–2, भिंड–1, मुरैना–2, दतिया–1, पन्ना–2, दमोह–2, सतना–1, छतरपुर–1, सागर–3, नरसिंहपुर–2, मंडला–1, बालाघाट–1, जबलपुर–3, सीधी–1, रीवा–1, सिंगरौली–1, कटनी–2।
छत्तीसगढ	75	बिलासपुर–4, मुंगेली–3, कबीरधाम (कवर्धा)–3, जांजगीर–चांपा–7, रायगढ़–7, जशपुर–7, कोरबा–3, दुर्ग–2, रायपुर–3, बलौदा बाजार–8, गरियाबंद–3, महासमंद–3, बेमेतरा–4, राजनांदगांव–7, बालोद–3, धमतरी–3, कांकेर–5।
पश्चिम बंगाल	715	अलीपुरद्वार–6, बांकुड़ा–20, पश्चिम बर्दवान–41, पूरब बर्दवान–38, बीरभूम–20, कूचबिहार–15, दक्षिण दिनाजपुर–8, दार्जिलिंग–29, हुगली–37, हावड़ा–35, जलपाईगुड़ी–13, झारग्राम– 12, कलिम्पोंग–2, कोलकाता–145, मालदा–21, मुर्शिदाबाद–39, नादिया–30, उत्तर 24 परगना–78, पश्चिम मिदनापुर–28, पूरब मिदनापुर–27, पुरुलिया–16, दक्षिण 24 परगना–43, उत्तर दिनाजपुर–12।
सिक्किम	25	पूर्वी सिक्किम–12, उत्तरी सिक्किम–4, दक्षिण सिक्किम–7, पश्चिम सिक्किम–2।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	निकोबार–1, उत्तर और मध्य अंडमान–2, दक्षिण अंडमान–7।
उड़ीसा	400	अंगुल–9, बालासोर–13, बड़ागढ़–7, भद्रक–6, बोलनगीर–9, बौध–9, कटक–12, देवगढ़–6, ढेंकनाल–6, गजपति–8, गंजम–38, जगतसिंहपुर–9, जाजपुर– 6, झारसुगुड़ा–12, कालाहांडी–21, केंद्रपाड़ा–10, क्योंझर–10, खुर्दा–28, कोरापुट–18, मलकानगिरी–16, मयूरभंज–17, नवापारा–8, नयागढ़–14, नवरंगपुर–13, फूलबनी–15, पुरी–17, रायगडा–22, संबलपुर–12, सोनपुर–5, सुंदरगढ़–24।
हिमाचल प्रदेश	200	बिलासपुर–13, चंबा–12, हमीरपुर–12, कांगड़ा–39, किन्नौर–5, कुल्लू–15, लाहौल एवं स्पीति–5, मंडी–16, शिमला–28, सिरमुर–18, सोलन–28, ऊना–9।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	25	चंडीगढ़– 25
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	100	अनंतनाग–8, बडगाम–5, बांदीपुर–2, बारामूला–8, डोडा–8, गांदरबल–3, जम्मू–11, कठुआ–9, किश्तवाड़–1, कुलगाम–1, कुपवाड़ा–5, पुंछ–3, पुलवामा–4, राजौरी–6, रामबन–3, रियासी–5, सांबा–7, शोपियां–1, श्रीनगर–3, उधमपुर–7।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	10	करगिल–4, लेह–6।
हरियाणा	150	फरीदाबाद–11, गुड़गांव–21, मेवात–3, पलवल–2, सोनीपत–13. अंबाला–6, भिवानी–4, चरखी दादरी–1, फतेहाबाद–11, हिसार–10, झज्जर–5, जींद–7, कैथल–6, करनाल–7, कुरुक्षेत्र–5, मोहिंदरगढ़–5, पंचकुला–5, पानीपत–5, रेवाड़ी–2, रोहतक–6, सिरसा–9, यमुनानगर–6।
पंजाब	365	अमृतसर–12, बरनाला–15, भटिंडा–32, फरीदकोट–12, फतेहगढ़–14, फाजिल्का–11, फिरोजपुर–15, गुरदासपुर–14, होशियारपुर–19, जालंधर–21, कपूरथला–12, लुधियाना–24, मानसा–15, मोगा–9, मोहाली–15, मुक्तसर–18, नवाशहर–9, पठानकोट–11, पटियाला–30, रोपड़–13, संगरूर–34, तरनतारन–10।
तमिलनाडु	90	कांचीपुरम–3, तिरुवन्नमलाई–2, तिरुवल्लूर–3, कृष्णागिरी–2, वेल्लोर–3, विल्लुपुरम–2, इरोड–2, नमक्कल–2, कोयंबटूर–3, नीलगिरी–2, तिरुपुर–3, धर्मपुरी–2, सेलम– 3, अरियलुर–2, कुड्डलोर–2, पेरम्बलुर–2, नागपट्टिनम–2, तिरुवरूर–2, पुदुकोट्टई–2, तंजावुर–3, तिरुचिरापल्ली–3, डिंडीगुल–3, करूर–3, मदुरै–3, थेनी–2, रामनाथपुरम–2, शिवगंगा–2, थुथुकुडी–3, विरुदुनगर–2, कन्याकुमारी–3, तिरुनेलवेली–3, चेंगलपट्टू–3, चेन्नई–3, कल्लाकुरिची–2, रानीपेट–2, तेनकासी–2, तिरुपत्तूर–2।
केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी	10	पांडिचेरी–8, करईकल–2.

उत्तराखंड	125	अल्मोड़ा–12, बागेश्वर–3, चमोली–7, चंपावत–3, देहरादून–30, गढ़वाल–13, हरिद्वार–14, नैनीताल–10, पिथौरागढ़–8, रुद्रप्रयाग–4, टिहरी गढ़वाल–8, उधम सिंह नगर–8 , उत्तर काशी–5।
तेलंगाना	125	आदिलाबाद–3, भद्राद्री कोठागुडेम–6, जगतियाल–2, जनगांव–3, जयशंकर–3, जोगुलम्बा–2, कामारेड्डी–4, करीमनगर–4, खम्मम–7, कोमारामभीम–2, महबूबाबाद–3, महबूबनगर–9, मलकाजगिरी–2, मंचीरियल–2, मेडक–4, नागरकुरनूल–4, नलगोंडा–6, निर्मल–3, निजामाबाद–11, पेद्दापल्ली–3, रंगारेड्डी–6, संगारेड्डी–5, सिद्दीपेट–5, सिरसिला–2, सूर्यापेट–7, विकाराबाद–6, वानापर्थी–3, वारंगल–1, वारंगल आर–3, यादाद्री भोंगिर–4।
राजस्थान	650	अजमेर–20, अलवर–27, बांसवाड़ा–10, बरन–15, बाड़मेर–30, भरतपुर–18, भीलवाड़ा–15, बीकानेर–50, बूंदी–12, चित्तौड़गढ़–10, चुरू–20, दौसा–15, धौलपुर–10, डूंगरपुर–6, गंगानगर–40, हनुमानगढ़–40, जयपुर–40, जैसलमेर–18, जालोर–20, झालावाड़–12, झुंझुनू–15, जोधपुर–30, करौली–8, कोटा–12, नागौर–32, पाली–20, प्रतापगढ़–5, राजसमंद–14, सवाई माधोपुर–12, सीकर–18, सिरोही–18, टोंक–14, उदयपुर–24।
केरल	75	पलक्कड–5, त्रिवेंद्रम–6, कन्नूर–5, मलप्पुरम–5, कोझीकोड–5, कासरगोड–6, एर्नाकुलम–5, कोट्टायम–5, त्रिशूर–5, वायनाड–6, इडुक्की–6, पैठनमथिट्टा–6, अलापुझा– 5, कोल्लम–5।
उत्तर प्रदेश	875	बिजनौर–21, ज्योतिबाफुले नगर–6, मुरादाबाद–14, भीमनगर–9, रामपुर–11, शाहजहांपुर–19, पीलीभीत–13, बरेली–20, बदायूँ–20, बलराम पुर–9, श्रावस्ती–2, गोंडा–20, बस्ती–20, लखीमपुर खीरी–20, बहराइच–10, इटावा–25, औरैया–4, जालौन–7, ललितपुर–7, झांसी–14, फर्रुखाबाद–7, हरदोई–20, कन्नौज–6, महोबा–5, हमीरपुर–7, बांदा–5, चित्रकूट–5, फतेहपुर–9, कौशाम्बी–12, अमेठी–12, रायबरेली–15, कानपुर–7, कानपुर देहात–18, उन्नाव–12, सीतापुर–12, लखनऊ–7, अयोध्या–10, प्रयागराज–20 बाराबंकी–9, गोरखपुर–20, सिद्धार्थ नगर–28, महाराजगंज–21, देवरिया–8, कुशी नगर–12, बलिया–18, मऊ–10, संत कबीरदास नगर–13, अम्बेडकर नगर–9 , प्रतापगढ़–20, जौनपुर–20, सुल्तानपुर–10, सोनभद्र–14, चंदौली–12, मिर्जापुर–14, वाराणसी–9, गाजीपुर–16, संत रविदास नगर–7, आजमगढ़–20, आगरा–16, अलीगढ़–9 , बागपत–3, बुलंदशहर–6, एटा–4, फिरोजाबाद–5, गौतम बुद्ध नगर–10, गाजियाबाद–12, हाथरस–4, कांशीराम नगर–3, मैनपुरी–3, मथुरा–11, मेरठ–13, मुजफ्फरनगर– 10, प्रभु नगर–3, सहारनपुर–10, एच, अपुर (पंचशील नगर)–3।
महाराष्ट्र	375	अहमदनगर–14, अकोला–8, अमरावती–12, औरंगाबाद–17, बीड–15, भंडारा–10, बुलढाणा–12, चंद्रपुर–10, धुले–14, गढ़चिरौली–12, गोंदिया–6, हिंगोली–6, जलगांव–10, जालना–5, कोल्हापुर–12, लातूर–10, नागपुर–5, नांदेड़–17, नंदुरबार–12, नासिक–10, उस्म ानाबाद–12, परभणी–8, पुणे–6, रत्नागिरी–10, सांगली–6, सतारा–8, सिंधुदुर्ग–8, सोलापुर–8, वर्धा–6, वाशिम–5, यवतमाल–6, रायगढ़–40, पालघर–20, ठाणे–15।
गोवा	50	उत्तर गोवा–31, दक्षिण गोवा–19।
अरुणाचल प्रदेश	20	अंजॉ–1, चांगलांग–2, दिबांग घाटी/निचली दिबांग घाटी–1, ईस्ट कामेंग/पक्के–केसांग–1, ईस्ट सियांग/वेस्टा सियांग/शि–योमी–2, क्रा डाडी/कुरुंग कुमे–1, लेपा रड्डा/निचला सियांग–1, लोहित/नामसाई–1, लोंगडिंग/तिरप–1, कमले/निचला सुबनसिरी–1, पापुम पारे–3, सियांग/अपर सियांग–1, तवांग–1, अपर सुबनसिरी–1, वेस्ट, कामेंग–2।
असम	250	बरपेटा–11, बोंगईगांव–6, कछार–15, दरंग–4, धेमाजी–4, धुबरी–9, डिब्रूगढ़–19, गोलपाड़ा–6, गोलाघाट–6, हैलाकांडी–5, जोरहाट–16, काम रूप–9, कामरूप मेट्रो–39, कार्बी आंगलोंग–4, करीमगंज–6, कोकराझार–4, लखीमपुर–7, मोरीगांव–2, नगांव–11, नलबाड़ी–6, उत्तबरी कछार हिल्स–3, सिबसागर–9, सोनितपुर–10, तिनसुकिया–12, , चिरांग–2, बक्सा–4, उदलगुरी–5, बिश्वनाथ–5, चराइदेव–2, होजई–4, माजुली–1, दक्षिण सलमारा–मंचाचार–1, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग–3।
मणिपुर	20	बिष्णुपुर–1, चंदेल–2, चुराचांदपुर/फेर्जवाल–3, इम्फाल पूर्व–3, इम्फाल पश्चिम–5, काकचिंग/थौबल–1, कामजोंग/उकरहुल–1, कंगपोकपी–1, नोनी/तामेंगलोंग–1, सेनापति–2,
मेघालय	50	ईस्ट गारो हिल्स–3, ईस्ट जयंतिया हिल्स–2, ईस्ट खासी हिल्स–17, नॉर्थ गारो हिल्स–3, री भोई–5, साउथ गारो हिल्स–2, साउथ वेस्ट गारो हिल्स–3, साउथ वेस्ट खासी हिल्स–1, वेस्ट गारो हिल्स–9, वेस्ट जयंतिया हिल्स–3, वेस्ट खासी हिल्स–2।
मिजोरम	20	आइजोल–10, चम्फाई–1, कोलासिब–2, लंगतलाई–1, लुंगलेई–2, ममित–1, सेरचिप–1, ख्वाजावल–1, सक्तुअल–1.
नगालैंड	20	दीमापुर–6, खिप्रे/त्युएनसांग/लोंगलेंग–1, कोहिमा–5, मोकोकचुंग–3, मोन–1, पेरेन–1, फेक–1, वोखा–1, जुन्हेबोटो–1।
त्रिपुरा	20	धलाई–1, गोमती–2, खोवाई–1, उत्तर त्रिपुरा–3, सिपाहीजाला–1, दक्षिण त्रिपुरा–2, उनाकोटी–1, पश्चिम त्रिपुरा–9।
बिहार	50	अररिया–1, अरवल–1, औरंगाबाद–1, बांका–1, बेगूसराय–1, भभुआ–1, भागलपुर–2, भोजपुर–1, बक्सर–1 दरभंगा–2, पूर्वी चंपारण–2, गया–2, गोपालगंज–1, जमुई–1, जहानाबाद–1, कैमूर–1, कटिहार–2, खगड़िया–1, किशनगंज–1, लखीसराय–1, मधेपुरा–1, मधुबनी–1, मुंगेर–1, मुजफ्फरपुर–2, नालंदा–1, नवादा–1, पटना–2, पूर्णिया–2, रोहतास–1, सहरसा–2, समस्तीपुर–1, सारण–1, शेखपुरा–1, शिवहर–1, सीतामढ़ी–2, सीवान–1, सुपौल–2, वैशाली– 1, पश्चिम चंपारण–1।
झारखंड	25	बोकारो–1, चतरा–1, देवघर–1, धनबाद–1, दुमका–1, पूर्वी सिंहभूम–1, गढ़वा–1, गिरिडीह–1, गोड्डा–1, गुमला–1, हजारीबाग–1, जामताड़ा–1, खूंटी –1, कोडरमा–1, लातेहार–1, लोहदरगा–1, पाकुर–1, पलामू–1, पश्चिम सिंहभूम–1, रामगढ़–1, रांची–2, साहिबगंज–1, सरायकेला–1, सिमडेगा–1.

बी. आयु :

31/10/2020 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01/11/1992 से पहले और 31/10/2000 (दोनों दिन सम्मिलित) के बाद नहीं होना चाहिए। इंगित की गई अधिकतम आयु अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए है। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू होगी।

सी. विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण :

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण समग्र रिक्तियों के भीतर क्षैतिज है। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016) की धारा 34 के अनुसार आरक्षण प्रदान किया गया है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में यथा परिभाषित बेंचमार्क विकलांगता की निम्नांकित श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए इस पद को उपयुक्त पहचाना गया है :

चलन विकलांगता (एलडी), दृष्टिबाधित (वीआई), श्रवण बाधित (एचआई) और अन्य पीडब्ल्यूडी 'डी' और 'ई' श्रेणियाँ : विशिष्ट अधिगम विगलांगता (एसएलडी), मानसिक बीमारी (एमआई), ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) और बहु–विकलांगता का अर्थ एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एमआई और एएसडी के बीच बहु–विकलांगता है।

ध्यान दें : जहाँ निर्दिष्ट विकलांगता को मापनीय शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है, निर्दिष्ट विकलांगता के 40% से कम नहीं केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे, और इसमें विकलांग व्यक्ति शामिल है जहाँ निर्दिष्ट विकलांगता को मापनीय शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे आवेदन में निवास प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित आवेदक के निवास के जिले के चिकित्सा प्राधिकारी या किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणन प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया नवीनतम विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को या उससे पहले दिनांकित होना चाहिए।

लिखने वाले का उपयोग और प्रतिपूरक समय :

40% या उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को लिखने वाले की सुविधा दी जाएगी, यदि वह व्यक्ति ऐसा चाहता है और यह सुविधा केवल उन विकलांग व्यक्तियों के लिए होगी जिनकी गति सहित लिखने की शारीरिक सीमा है। ऐसे सभी मामलों में जिनमें लिखने वाले का उपयोग किया जाएगा, निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

- परीक्षा में लिखने वाले की सेवाओं के लिए पात्र और इसका उपयोग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक इसका उल्लेख करना चाहिए।
- ऑनलाइन परीक्षा के समय अभ्यर्थी और लिखने वाले दोनों को लिखने वाले के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त वचन पत्र देना होगा।
- लिखने वाले का उपयोग करने के लिए पात्र अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, चाहे लिखने वाले की सुविधा का लाभ उठा रहे हों या नहीं।
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के खर्च पर अपने स्वयं के लिखने वाले की व्यवस्था करनी होगी।
- ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लिखने वाले का उपयोग करने के लिए अपात्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में लिखने वाले का उपयोग करने पर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- लिखने वाले का उपयोग कर रहे किसी भी अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में लिखने वाले का उपयोग करने के लिए पात्र है।
- उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए लिखने वाले का उपयोग करने वाला कोई भी अभ्यर्थी अयोग्य माना जाएगा और बिना किसी सूचना के प्रशिक्षुता से हटाया जा सकता है, यदि पहले से ही बैंक में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त है।
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निःशक्तता कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों देखें कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 16–110/2003–डीडी3 दिनांकित 26 फरवरी, 2013 और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण देखें पत्र संख्या एफ. सं.3/2/2013–कल्याण दिनांकित 26/04/2013 के अनुसार लिखने वाले का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

डी. 31/10/2020 को शैक्षिक योग्यता :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक।

ई. प्रशिक्षण की अवधि :

प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है।

एफ. वृत्ति/लाभ :

प्रशिक्षु एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के लिए प्रति माह रु.15000/– की वृत्ति के पात्र होंगे। **प्रशिक्षु किसी अन्य भत्ते/लाभ के पात्र नहीं होंगे।**

जी. कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती में भारांक/छूट :

कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती में भारांक/छूट हमारे बैंक में सफलतापूर्वक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं को दी जाएगी।

एच. चयन प्रक्रिया :

प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए चयन (1) ऑनलाइन लिखित परीक्षा और (2) स्थानीय भाषा की परीक्षा के आधार पर होगा।

1. ऑनलाइन लिखित परीक्षा :

ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार) की संरचना इस प्रकार होगी।

क्रमांक	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य/वित्तीय जागरूकता	25	25	15 मिनट
2.	सामान्य अंग्रेजी	25	25	15 मिनट
3.	मात्रात्मक योग्यता	25	25	15 मिनट
4.	तर्कशक्ति क्षमता और कंप्यूटर योग्यता	25	25	15 मिनट
	कुल योग	100	100	1 घंटा

जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक परीक्षा के लिए समय अलग–अलग होगा।

सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा को छोड़कर, प्रश्न द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए नियत अंक का 1/4वां अंक काट लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है (एससी/ एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी अभ्यगर्थियों के लिए, इस पर 5% छूट उपलब्ध है)। कुल योग पर न्यूनतम अर्हता अंक बैंक द्वारा तय किया जाएगा। अलग–अलग विषय के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक नहीं है। योग्यता सूची राज्यवार और श्रेणीवार तैयार की जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संबंधित राज्यों और श्रेणियों में उनके कुल अंकों के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी योग्यता सूची में कट–ऑफ अंक के बराबर अंक प्राप्त करते हैं (कट ऑफ बिंदु पर सामान्य अंक) तो ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित राज्यों और श्रेणियों में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में योग्यता सूची में स्थान दिया जाएगा।

ध्यान दें : परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी 'अपने आपको परिचित बनाएँ' पुस्तिका में दी जाएगी, जो पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलावा पत्र के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा अगस्त 2021 (संभावित रूप से) में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की संभावित सूची इस प्रकार है :

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	परीक्षा केंद्र	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	परीक्षा केंद्र
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	**मणिपुर**	इम्फाल
आंध्र प्रदेश	चिराला, गुंटूर, कडपा, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम	**मेघालय**	शिलोंग
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	**मिजोरम**	आइजोल
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर	**नगालैंड**	कोहिमा
बिहार	आरा, औरंगाबाद (बिहार), भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया	**दिल्ली एनसीआर**	दिल्ली एनसीआर (सभी एनसीआर शहर)
चंडीगढ़	चंडीगढ़ – मोहाली	**उड़ीसा**	बालासोर, बरहामपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, राउरकेला, संबलपुर
छत्तीसगढ	भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर	**पुदुचेरी**	पुदुचेरी
गोवा	पणजी	**पंजाब**	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, संगरूर

गुजरात	अहमदाबाद – गांधीनगर, आणंद, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा	**राजस्थान**	अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुना नगर	**सिक्किम**	बर्दांग – गंगटोक
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना	**तमिलनाडु**	चेन्नई, कोयंबटूर, इरोड, मदुरै, नागरकोइल, सेलम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, विरुधुनगर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू, सांबा, श्रीनगर	**तेलंगाना**	हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल
झारखंड	बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची	**त्रिपुरा**	अगरतला
कर्नाटक	बेंगलुरु, बेलगाम, दावणगेरे, गुलबर्गा, हासन, हुबली – धारवाड़, मांड्या, मैंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडुपी	**उत्तर प्रदेश**	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, वाराणसी
केरल	अलप्पुझा, कन्नूर, कोच्ची, कोल्लम, कोट्टायम, कोझीकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर	**उत्तराखंड**	देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
लक्षद्वीप	कवरत्ती	**पश्चिम बंगाल**	आसनसोल, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन	**लद्दाख**	लेह
महाराष्ट्र	अमरावती, औरंगाबाद (महाराष्ट्र), चंद्रपुर, धूलिया, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/थाने/नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पूना, सोलापुर	**दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव**	दमन

- अभ्यर्थी को उस केंद्र का नाम चुनना चाहिए जहाँ वह परीक्षा देना चाहता है। हालांकि, एसबीआई अनुक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एसबीआई अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र से भिन्न कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

  परीक्षा केंद्र बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थी अपने जोखिम और खर्च पर आवंटित केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और एसबीआई किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- परीक्षा हॉल में किसी भी तरह के उच्छृंखल व्यवहार/दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप अभ्यर्थिता को रद्द किया जा सकता है और एसबीआई द्वारा आयोजित किए जाने वाली भविष्य की परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- चयन के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2. **स्थानीय भाषा की परीक्षा :**

   राज्यों की निर्दिष्ट स्थानीय भाषाएँ विज्ञापन के पैरा ए में उल्लेखानुसार हैं। किसी विशेष राज्य की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन के पैरा ए में यथा उल्लेखित राज्य की निर्दिष्ट स्थानीय भाषा/भाषाओं में से किसी एक में प्रवीण (पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में) होना चाहिए। चुनी गई स्थानीय भाषा की जानकारी की परीक्षा चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित की जाएगी। यह ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आयोजित की जाएगी। जो अभ्ययर्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें प्रशिक्षु नहीं नियुक्त किया जाएगा। 10वीं या 12वीं कक्षा में निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन करने का साक्ष्यय प्रस्तुत करने वाला अंकपत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को भाषा परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के खर्च पर आवेदन किए गए राज्य के केंद्र (बैंक द्वारा तय किया जाएगा) पर चुनी गई निर्दिष्ट स्थानीय भाषा की परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

3. **चिकित्सीय परीक्षण :**

   चयनित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन है।

   अंतिम चयन:

   क) पद के लिए पात्रता और ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन के अधीन होगा।

   ख) जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, चुनी गई निर्दिष्ट स्थानीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण, जहाँ लागू हो, होने के अधीन होगा।

   ग) चिकित्सीय परीक्षण में अर्हता के अधीन होगा।

आई. प्रतीक्षा सूची :

प्रतीक्षा सूची (राज्य–श्रेणी अनुसार) प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के परिणाम या अगली नियुक्ति की कवायद, जो भी पहले हो, की तिथि से एक वर्ष तक बनाए रखी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन सेवाभार न ग्रहण करने के विरुद्ध इस प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को केवल एक बार जारी किया जाएगा।

जे. कार्य विवरण : प्रशिक्षु। यह बैंक में नियोजन नहीं है।

के. शुल्क/सूचना शुल्क : (अप्रतिदेय) :

श्रेणी	शुल्क/सूचना शुल्क
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस	रु.300/–
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी	शून्य

एक बार भुगतान किया गया शुल्क/सूचना शुल्क किसी भी कारण से वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

एल. सामान्य जानकारी :

i) अभ्यर्थी को यथा संशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार पूर्व में एसबीआई या किसी अन्य संगठन में प्रशिक्षुता से नहीं गुजरा होना चाहिए या प्रशिक्षुता प्रशिक्षण नहीं पाया होना चाहिए।

ii) शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रशिक्षण या नौकरी का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किए जाने के **पात्र नहीं होंगे**।

iii) **एसबीआई की प्रशिक्षुता अवधि के दौरान और/या बाद में प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। प्रशिक्षुता अवधि पूरी होने के बाद, अभ्यर्थियों को संबंधित कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा।**

iv) पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की विधि , आंशिक या पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया रद्द करने आदि से संबंधित सभी मामलों पर बैंक का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सीटों को भरना अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के आधार पर पूरी तरह से बैंक के विवेक पर निर्भर होगा और यदि अभ्यर्थियों की अनुपयुक्तता/अपर्याप्त संख्या के कारण इनमें से कुछ सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं उत्पन्न होगा।

v) अधूरे ऑनलाइन आवेदनों को पात्र नहीं माना जाएगा और उन्हें अस्वीकृत माना जाएगा।

vi) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट कर लेना चाहिए। बैंक प्रशिक्षु के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर परीक्षा में प्रवेश देगा और दस्तावेज़ सत्यापन के समय ही उनकी पात्रता निर्धारित करेगा। दस्तावेजों के संदर्भ में अभ्यर्थियों की आयु/योग्यता/श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी), आदि के सत्यापन के बिना परीक्षा में प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा।

vii) अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करने और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करने सलाह दी जाती है ताकि इंटरनेट पर भारी भार के कारण डिस्कनेक्शन की संभावना या वेबसाइट जाम के कारण वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में अक्षमता/विफलता से बच सकें।

viii) एसबीआई उपर्युक्त कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

ix) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किया जाना चाहिए। एकाधिक आवेदनों के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन ही रखा जाएगा और अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में एक से अधिक उपस्थिति/बैठने को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

x) कोविड–19 स्थिति को देखते हुए या अन्यथा परीक्षा की व्यवस्था में कुछ समस्याओं के होने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे परीक्षा वितरण और/या परिणाम उत्पन्न किया जाना प्रभावित हो सकता है। उक्त स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर दूसरी परीक्षा आयोजित करना भी शामिल हो सकता है।

xi) अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के बाद अपने सिस्टम जनित ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है।

xii) नियुक्ति के समय माँगे जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

xiii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण की माँग करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें कहा गया होगा कि वह पंजीकरण की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है। 01/04/2021 से प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति की तिथि की अवधि के दौरान जारी किया गया 'गैर–क्रीमी लेयर' खंड युक्त ओबीसी प्रमाण पत्र, यदि उपयुक्त पाया जाता है, नियुक्ति के समय जमा करना होगा।

xiv) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

xv) पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

xvi) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना अर्थात बुलावा पत्र/सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकृत ई–मेल आईडी/मोबाइल सक्रिय रखें।

xvii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार उसके चिकित्सीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन है और इस तरह की नियुक्ति बैंक के सभी प्रासंगिक नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों के भी अधीन होगी।

xviii) इस विज्ञापन और/या इसकी अनुक्रिया में आवेदन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले में कोई कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में संस्थापित की जा सकती है और केवल मुंबई की अदालतों/न्यायाधिकरणों/फोरमों का किसी मुकदमे/विवाद का कानूनी परीक्षण करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकर होगा।

xix) अभ्यर्थियों को अपने खर्चे पर परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

xx) चयनित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार उसके चिकित्सीय रूप से फिट घोषित किए जाने और केवाईई औपचारिकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा करने के अधीन है।

xxi) अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद डेटा में किसी बदलाव की अनुमति नहीं है।

xxii) **सभी अभ्यर्थियों (पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों को छोड़कर जहाँ वैकल्पिक पहचान प्रमाण पत्र कार्य करेगा) को नियुक्ति, अर्थात प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले आधार संख्या प्रस्तुत करना होगा।**

xxiii) **बैंक किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

एम. आवेदन कैसे करें

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ए) आवेदन भरने और शुल्क के भुगतान के लिए दिशानिर्देश : केवल ऑनलाइन विधा :

अभ्यर्थियों को वेबसाइट https ://nsdcindia.org/apprenticeship या https ://apprenticeshipindia.org या http ://bfsissc.com या https ://bank.sbi/careers या https :// www.sbi.co.in/careers – एसबीआई में प्रशिक्षु की नियुक्ति के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

सहायता केंद्र : अवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की समस्या होने पर फोन नं. 022–22820427 (केवल कार्य दिवसों पर पूर्वाह्न 11 :00 बजे से शाम 06 :00 बजे के बीच) पूछताछ की जा सकती है या http ://cgrs.ibps.in पर अपनी पूछताछ दर्ज कराई जा सकती है। अभ्यर्थियों को ईमेल के विषय में 'एसबीआई में प्रशिक्षु की नियुक्ति' का उल्लेख करना न भूलने की सलाह दी जाती है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्वापेक्षाएँ : अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसे परिणाम घोषित किए जाने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। इससे उसे ईमेल/एसएमएस द्वारा बुलावा पत्र/सूचना आदि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

i) जैसा कि तस्वीर, हस्ताक्षर और दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया गया है अभ्यर्थियों को पहले तस्वीर, हस्ताक्षर और दस्तावेजों को स्कैन करना चाहिए **(अनुलग्नक–1)**।

ii) अभ्य र्थियों को वेबसाइट https ://bank.sbi/careers या https ://www.sbi.co.in/careers पर जाकर 'करंट ओपनिंग' में उपलब्ध उपयुक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलना है।

iii) आवेदन पत्र ध्यान से भरें। एक बार आवेदन पूरी तरह से भर जाने के बाद, अभ्यर्थियों को डेटा जमा करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी एक बार में डेटा नहीं भर पाते हैं, तो वे पहले से

दर्ज किया गया डेटा सेव कर सकते हैं। जब डेटा सेव किया जाएगा, तो सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सेव किया गया डेटा फिर से खोल सकते हैं और विवरण संपादित कर सकते हैं। यह सुविधा केवल तीन बार ही मिलेगी। एक बार आवेदन पूरी तरह से भर दिए जाने के बाद, अभ्यर्थियों को डेटा जमा करना चाहिए। इसके बाद, पंजीकरण अंतिम होगा और डेटा में किसी भी परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस स्तर पर पंजीकरण अनंतिम है।

iv) आवेदन पत्र के विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करने के बाद, अभ्यर्थियों को स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करते हुए, आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना है।

v) स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए संव्यवहार शुल्क, यदि कोई है, अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।

vi) संव्यवहार के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, शुल्क विवरण के साथ ई–रसीद और आवेदन पत्र उत्पन्न किया जाएगा, जिसे अभिलेख के लिए मुद्रित किया जा सकता है। **आवेदन पत्र का प्रिंटआउट एसबीआई को नहीं भेजा जाना है।**

vii) यदि ऑनलाइन संव्यवहार सफलतापूर्वक पूरा नहीं होता है, तो कृपया फिर से पंजीकरण करें और ऑनलाइन भुगतान करें।

(बी) तस्वीर और हस्ताक्षर स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश :

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों के लिए अनुलग्नक–1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई (डिजिटल) इमेज रखने की आवश्यकता होगी। जब तक कि अभ्यर्थियों द्वारा यथा निर्दिष्ट तस्वीर और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया जाएगा, तब तक आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

ध्यान दें :

1. यदि तस्वीर में चेहरा या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
2. यदि तस्वीर या हस्ताक्षर अस्पष्ट है, तो अभ्यर्थी अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकता है।

(सी) परीक्षा के लिए बुलावा पत्र :

अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से अगस्त, 2021 में अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके बैंक की वेबसाइट https ://nsdcindia.org/apprenticeship या https ://apprenticeshipindia.org या http ://bfsissc.com या https ://bank.sbi/careers या https ://www.sbi.co.in/careers से अपना बुलावा पत्र और अपने आपको परिचित बनाएँ पुस्तिका डाउनलोड कर लेना चाहिए।

डाक द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बुलावा पत्र और अपने आपको परिचित बनाएँ पुस्तिका की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

(डी) परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले पहचान प्रमाणपत्र :

अभ्यर्थियों को आधिकारिक लेटर हेड पर मूल में स्कूल या कॉलेज या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए गए विधिवत सत्यापित तस्वीर/पहचान पत्र के साथ पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानपत्र/बैंक पासबुक जैसे फोटो पहचान प्रमाण और साथ ही साथ उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति लाना होगा। परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षकों को बुलावा पत्र के साथ पहचान पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर या यदि अभ्यर्थियों की पहचान संदिग्ध है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ई) कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही :

(i) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें ऐसा कोई भी विवरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए जो गलत, छेड़छाड़ किया/गढ़ा गया हो और उन्हें आवेदन पत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए।

(ii) परीक्षा के समय, यदि किसी अभ्यर्थी को : (1) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करने या (2) प्रतिरूपण करने या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाने या (3) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करने या (4) चयन के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेने या (5) किसी भी अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने का दोषी पाया जाता (या पाया गया) है, तो ऐसा अभ्यर्थी आपराधिक मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा उत्तरदायी होगा :

क) जिस परीक्षा का वह अभ्यर्थी है, उसके लिए अयोग्य ठहराए जाने का।

ख) बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से, स्थाई रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि तक विवर्जित करने का।

(iii) सादृश्यता का पैटर्न पता लगाने के लिए बैंक परीक्षा में बैठे अन्य अभ्यर्थियों के साथ अभ्यर्थी के उत्तरों का विश्लेषण करेगा। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक उसकी अभ्यर्थिता रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iv) मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर या ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग :

क) जहाँ परीक्षा हो रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है।

ख) अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर आदि सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

ग) अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर का उपयोग करने या रखने की अनुमति नहीं है।

एन. घोषणाएँ :

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी और घोषणाएँ/शुद्धिपत्र समय–समय पर केवल वेबसाइट https ://nsdcindia.org/apprenticeship या https ://apprenticeshipindia.org या http ://bfsissc.com या https ://bank.sbi/careers या https ://www.sbi.co.in/careers पर प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे।

ओ. अस्वीकरण :

यदि प्रशिक्षु की नियुक्ति के किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों) को छुपाया है, प्रक्रिया में अनुचित व्यवहार में लिप्त है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द मानी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से किसी भी कमी का पता चलता है, तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। पात्रता, लिखित परीक्षा के आयोजन, अन्य परीक्षाओं और चयन के संबंध में सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी रूप में उपार्थना अयोग्यता होगी

यह विज्ञापन बैंक की वेबसाइट https ://bank.sbi/careers या https ://www.sbi.co.in/careers पर भी उपलब्ध है।

बैंक मुद्रण त्रुटियों, यदि कोई है, के लिए जिम्मेदार नहीं है।

मुंबई – 400021

दिनांक : 06/07/2021 **महाप्रबंधक**

अनुलग्नक–1

तस्वीर (4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज रखने की आवश्यता होगी :

तस्वीर की इमेज :

- तस्वीर हाल ही की पासपोर्ट शैली की रंगीन तस्वीर होनी चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि तस्वीर रंगीन हो और हल्के रंग की, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि में ली गई हो।
- तनावमुक्त चेहरे के साथ कैमरे की ओर सीधा देखें।
- यदि तस्वीर धूप वाले दिन में ली गई है, तो सूर्य को अपने पीछे रखें, या अपने आप को छाया में रखें, ताकि आपकी आँखें भेंगा न दिखें और कोई कठोर छाया न हो।
- अगर आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कोई रेड–आई न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई परार्वतन नहीं है और आपकी आँखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।
- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक पगड़ी/टोपी की अनुमति है लेकिन आपका चेहरा ढका होना नहीं चाहिए।
- लंबाई–चौडाई 200 **x** 230 पिक्सेल (अधिमानतः)।
- फ़ाइल का आकार 20केबी–50केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50केबी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स समायोजित करें जैसे कि डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि,।

हस्ताक्षर की इमेज :

- आवेदक को श्वेत कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करना है।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- हस्ताक्षर का उपयोग बुलावा पत्र पर और जहाँ कहीं आवश्यक होगा, लगाने के लिए किया जाएगा।
- यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक पर आवेदक का हस्ताक्षर बुलावा पत्र पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- लंबाई–चौडाई 140 x 60 पिक्सेल (अधिमानतः)।
- फ़ाइल का आकार 10केबी – 20केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20केबी से अधिक नहीं है।
- बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तस्वीर और हस्ताक्षर स्कैन करना :

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
- रंग को सत्य रंग में सेट करें।
- फ़ाइल का आकार जैसा कि ऊपर बताया गया है।
- स्कैनर में इमेज को तस्वीर/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम आकार (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें।
- इमेज फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए। फ़ाइल नाम का एक उदाहरण है : image01.jpg या image01.jpeg। फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर इमेज की लंबाई–चौड़ाई की जाँच की जा सकती है।
- एमएस विंडोज/एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी आसानी से एमएस पेंट या एमएसऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके क्रमशः केबी और 20केबी से अधिक नहीं इमेज और हस्ताक्षर जेपीईजी प्रारूप में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रारूप में स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर को फ़ाइल मेनू में 'सेव ऐज़' विकल्प का उपयोग करके .jpg प्रारूप में सेव किया जा सकता है और 'इमेज' मेनू में क्रॉप और फिर रिसाइज विकल्प (कृपया पिक्सेल आकार के लिए ऊपर बिंदु (1) और (2) देखें) का उपयोग करके आकार को 50 केबी (तस्वीर) और 20 केबी (हस्ताक्षर) तक कम किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।
- यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने की लिंक प्रदान की जाएगी।

तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया

- तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग–अलग लिंक होंगी।
- संबंधित लिंक पर तस्वीर/हस्ताक्षर अपलोड करें पर क्लिक करें।
- जहाँ स्कैन की गई तस्वीर/हस्ताक्षर फ़ाइल सेव की गई है, उस स्थान का ब्राउज़ कर चयन करें।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें।
- 'खोलें/अपलोड करें' बटन पर क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में तस्वीर/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह जाँच लेना चाहिए कि तस्वीर स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई है। यदि तस्वीर या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकते हैं और अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर फिर से अपलोड कर सकते हैं। यदि तस्वीर में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट है तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

जब तक कि आप निर्दिष्टानुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

1. यदि तस्वीर में चेहरा या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में तस्वीर/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को यह जाँच लेना चाहिए कि तस्वीर स्पष्ट है और सही तरीके से अपलोड की गई है। यदि तस्वीर या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर सकते हैं और अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर फिर से अपलोड कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थियों को अपने सिस्टम जनित ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है।